

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

परिचय

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है, जो केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल नामक एक स्वायत्त संगठन द्वारा संचालित है, जिसकी स्थापना 1960 में उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी।

संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। भारत में इसके आठ केन्द्र हैं : दिल्ली (1970), हैदराबाद (1976), गुवाहाटी (1978), शिलांग (1987), मैसूर (1988), दीमापुर (2003), भुवनेश्वर (2003) तथा अहमदाबाद (2006) क्रमशः स्थापित।

हिन्दी भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। संस्थान अपनी सभी गतिविधियों में हिन्दी की इस विशेषता को आत्मसात करता है। संस्थान अपने विभिन्न विषयों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्मुख है। इस पृष्ठभूमि में संस्थान ने अपने ज्ञापन में कुछ उद्देश्य रखे हैं। इन्हें निम्नलिखित रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है:

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उद्देश्य:

- (i) धारा 351 में उल्लिखित संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए, संस्थान अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए काम करता है और इस तरह के पाठ्यक्रमों को तैयार करने, व्यवस्थित करने और लागू करने का प्रयास करता है जो इस व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकें।
- (ii) विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण के मानकों को बेहतर बनाना, हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नत अध्ययन और विभिन्न भारतीय भाषाओं से संबंधित तुलनात्मक भाषा विज्ञान के लिए अवसर प्रदान करना, विषय के शिक्षण में शोध का आयोजन करना, ऐसे पाठ्यक्रमों को तैयार करना, शुरू करना और सुविधा प्रदान करना।
- (iii) छात्रों के निवास के लिए छात्रावासों की स्थापना, पर्यवेक्षण और प्रबंधन करना।
- (iv) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करना और डिप्लोमा प्रदान करना।
- (v) हिंदी शिक्षण और सीखने के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें और शोध-उन्मुख पुस्तकें तैयार करना और उन्हें मुद्रण और प्रकाशन के बाद सुलभ बनाना।
- (vi) संस्थान के लक्ष्यों के अनुसार पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करना।
- (vii) समान उद्देश्यों से कार्य करने वाले अन्य संगठनों और संस्थाओं की सदस्यता लेना, सदस्य बनना, उनके साथ सहयोग करना या आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संबद्धता प्रदान करना।
- (viii) निर्धारित नियमों के अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और पदक प्रदान करके समय-समय पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

शिक्षण पाठ्यक्रम

1. (अ) अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए हिंदी पाठ्यक्रम:

मुख्यालय, आगरा और दिल्ली केंद्र विदेश में हिंदी के प्रचार-प्रसार की योजना के तहत विदेशी छात्रों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं-

- (i) हिंदी भाषा दक्षता प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रम संख्या - 100)
- (ii) हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रम संख्या - 200)
- (iii) हिंदी भाषा दक्षता उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रम संख्या - 300)
- (iv) हिंदी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रम संख्या - 400)

ये पाठ्यक्रम (i- iii) स्व-वित्तपोषित योजना के तहत दिल्ली केंद्र में संचालित किए जाते हैं। उपरोक्त चार पाठ्यक्रम आईसीसीआर के माध्यम से कोलंबो और कैंडी (श्रीलंका) में भी चलाए जा रहे हैं।

विदेशों में हिंदी पढ़ाने वाले सेवारत विदेशी हिंदी शिक्षकों के लिए हर साल कम से कम एक या दो सप्ताह की अवधि के दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ब) सांध्यकालीन पाठ्यक्रम (स्व-वित्तपोषित):

मुख्यालय आगरा और दिल्ली केंद्र में निम्नलिखित सांध्यकालीन पाठ्यक्रम (स्व-वित्तपोषित) आयोजित किए जाते हैं: (i) परास्नातकोत्तर अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान डिप्लोमा,
(ii) स्नातकोत्तर अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार डिप्लोमा,

(स) स्वदेशी हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम: गैर हिंदी राज्यों के छात्रों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

दो वर्षीय कार्यक्रम:

- (i) हिंदी शिक्षण निष्णात (एम.एड. के समकक्ष) - आगरा, (ii) हिंदी शिक्षण पारंगत (बी.एड. के समकक्ष) - आगरा, (iii) हिंदी शिक्षण प्रवीण (बी.टी.सी./डी.ई.एल.एड. के समकक्ष) - आगरा।

2. (अ) प्रकाशन:

संस्थान हिंदी भाषा और साहित्य, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, तुलनात्मक और विरोधाभासी भाषाविज्ञान, भाषा और साहित्य शिक्षण, कोशरचना, द्विभाषी शब्दकोश आदि जैसे विभिन्न विषयों पर कई पुस्तकें प्रकाशित करता है। अब तक 200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

(ब) संस्थान निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित कर रहा है और उनमें से कई यूजीसी की केयर सूची में शामिल हैं:

1. केएचएस गवेषणा - अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, हिंदी शिक्षण और आलोचना की एक त्रैमासिक पत्रिका
2. संवाद पथ - हिंदी जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता पर केंद्रित एक त्रैमासिक पत्रिका।
3. समन्वय पूर्वोत्तर - पूर्वोत्तर भारत की भाषा, साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित एक त्रैमासिक पत्रिका।
4. समन्वय दक्षिण - दक्षिण भारत की भाषा, साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित एक त्रैमासिक पत्रिका।

5. समन्वय पश्चिम - पश्चिमी भारत की भाषा, साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका।
6. शैक्षिक उन्मेष - शिक्षा में समसामयिक मुद्दों और शोध पर केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका।
7. प्रवासी जगत - हिंदी प्रवासी भाषा, साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका।
8. भावक - हिंदी में साहित्यिक विचारों और रचनात्मक साहित्य पर केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका।
9. संस्थान समाचार - संस्थान का त्रैमासिक बुलेटिन
10. वार्षिक छात्र पत्रिकाएँ: हिंदी विश्व भारती और समन्वय।

(ग) प्रमुख परियोजनाएँ :

अनुसंधान एवं भाषा विकास विभाग तथा सूचना एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

1. हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना: इस परियोजना के अंतर्गत हिंदी की विभिन्न बोलियों (विविधताओं) के त्रिभाषी शब्दकोश विकसित किए जाने हैं -

1. लोकभाषा विभाग की समृद्ध किन्तु संकटग्रस्त भाषायी विरासत को संरक्षित एवं संजोए रखने के लिए हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना संचालित की जा रही है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व की बोलियों/भाषाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना में 17 बोलियों को शामिल किया गया है, जिनका प्रकाशन, डिजिटलीकरण एवं इंटरनेट पर अपलोड किया जाएगा।

2. इस परियोजना के अंतर्गत भोजपुरी-हिंदी-अंग्रेजी ब्रजभाषा-हिंदी-अंग्रेजी तथा राजस्थानी-हिंदी-अंग्रेजी लोक शब्दकोश प्रकाशित किए जा चुके हैं। अवधी एवं बुंदेली त्रिभाषी शब्दकोशों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणावी बोलियों के शब्दकोश तैयार किए जा रहे हैं।

2. हिंदी विश्वकोश परियोजना: हिंदी विश्वकोश परियोजना के अंतर्गत 16 भागों वाले विश्वकोश का विकास कार्य प्रगति पर है, जिसमें विभिन्न विषय शामिल हैं - पृथ्वी और भूगोल, विज्ञान, गणित, सूचना और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा, इतिहास, धर्म और दर्शन, कला और संगीत, साहित्य, भाषा विज्ञान, खेल और मनोरंजन, समाज और जीवन, जनसंचार, भारतीय चिकित्सा और योग (आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा और योग), मनोविज्ञान और प्रबंधन। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक गणित, पृथ्वी और भूगोल तथा विज्ञान विषयों पर 3 खंड प्रकाशित हो चुके हैं।

(घ) विस्तार कार्यक्रम :

- i. मुख्यालय एवं इसके केन्द्रों पर सम्पर्क, समन्वय एवं विचारों के आदान-प्रदान की दृष्टि से विशेष विस्तार व्याख्यान एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- ii. अखिल भारतीय स्तर पर भाषायी एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मुख्यालय एवं इसके केन्द्रों पर भाषा विज्ञान, हिन्दी साहित्य, हिन्दी शिक्षण, पत्रकारिता, भाषा शब्दावली, मीडिया आदि पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- iii. हिन्दीतर राज्यों के हिन्दी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं प्रचार-प्रसार संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों के लिए अखिल भारतीय हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन एवं काव्यपाठ का आयोजन करना।
- iv. विद्यार्थियों के लिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों के लोक संगीत, नृत्य एवं लघु नाटक जैसी सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन करना।
- v. क्षेत्रीय महाविद्यालयों के सहयोग से मुख्यालय एवं इसके केन्द्रों पर लघु बजटीय संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- vi. नगर राजभाषा कार्यकारिणी एवं अन्य हिन्दी शिक्षण संस्थाओं की सहायता करना।

(ङ) पुस्तकालय :

संस्थान में सामान्य पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों एवं संदर्भ पुस्तकों का सर्वोत्तम संग्रह है। यह भाषा विज्ञान, हिन्दी साहित्य और भाषा एवं भाषा शिक्षण का सबसे समृद्ध पुस्तकालय है। केंद्रीय पुस्तकालय (आगरा) में 75000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है और लगभग 70 से अधिक पत्रिकाएँ नियमित रूप से खरीदी जाती हैं। पुस्तकालय का संदर्भ अनुभाग विशिष्ट है। सभी क्षेत्रीय केंद्रों के पुस्तकालयों में भी पुस्तकों का अच्छा संग्रह है और पुस्तकों को पढ़ने में सुविधा होती है। केंद्रीय पुस्तकालय के संग्रह कम्प्यूटरीकृत हैं।

(च) संस्थान का परिसर:

केंद्रीय हिन्दी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। परिसर में मुख्य भवन, गांधी भवन, अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय सभागार, मोटूरि सत्य नारायण छात्रावास, प्रेमचंद छात्रावास, महादेवी वर्मा अंतर्राष्ट्रीय महिला छात्रावास और सुभद्रा कुमारी चौहान महिला छात्रावास का अच्छा प्रबंधन है। इसके अलावा, संस्थान के कर्मचारियों के लिए गेस्ट हाउस तथा आवासीय क्वार्टर भी हैं। मुख्यालय के अलावा, दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद और शिलांग केंद्र अपने स्वयं के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं।

(छ) संस्थान से सम्बद्ध प्रशिक्षण महाविद्यालय:

हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के स्तर को सुधारने तथा पाठ्यक्रम संरचना में एकरूपता लाने के लिए आइजोल (मिजोरम) तथा दीमापुर (नागालैंड) के हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संस्थान से सम्बद्ध हैं। इन महाविद्यालयों में संस्थान के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(I) योजनाएँ तथा भावी मार्ग:

- संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार: एस.वी.सी.सी., कोलंबो (श्रीलंका) ने 2007-08 से श्रीलंकाई विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय हिंदी संस्थान का पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम 2015 से कैंडी में भी संचालित किया जा रहा है। संस्थान द्वारा विकसित बी.ए. पाठ्यक्रम भी 2007-08 से अफगानिस्तान के जलालाबाद स्थित नगरहार विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। विश्व के अन्य देशों में भी इसी प्रकार के हिंदी शिक्षण कार्यक्रम विकसित करने की योजना है।
- नये पाठ्यक्रमों की शुरुआत: संस्थान के मुख्यालय तथा विभिन्न केन्द्रों पर नये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षण तकनीक एवं पद्धतियों की गुणवत्ता विकसित करने, नये तकनीकी संसाधनों के उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास की भी योजना है। विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने तथा संस्थान की गतिविधियों को पूरे देश में विस्तारित करने की योजना है।
- केन्द्रीय हिन्दी संस्थान विश्व भर में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के सभी केन्द्रों में अपनी गतिविधियां शुरू करने की योजना बना रहा है।
- कुछ देशों के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी पीठ स्थापित करने तथा भारत के विभिन्न राज्यों के शहरों में विभिन्न केन्द्र शुरू करने की योजना है।
- संस्थान के सभी प्रमुख पाठ्यक्रमों में हिन्दी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना है। हिन्दी शिक्षण को नवीनतम तकनीक से सुसज्जित करने तथा ऑनलाइन हिन्दी शिक्षण विकसित करने का कार्य शुरू हो चुका है।

- विभिन्न केंद्रों पर भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है।
- शैक्षिक दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम और लघु फिल्मों का निर्माण, सेमिनार, कार्यशालाएं और शैक्षणिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।
- आधुनिक स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना।
- प्रशासनिक भवन के निर्माण की योजना।
- योग केंद्र के लिए भवन का निर्माण।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कार्यक्रम

- I. a) हिंदी भाषा दक्षता प्रमाणपत्र (बेसिक):
(b) हिंदी भाषा दक्षता प्रमाणपत्र (उच्च):
1. मौखिक अभिव्यक्ति 2. लिखित अभिव्यक्ति 3. भाषा संरचना और प्रयोग
4. पाठ्य (गद्य और पद्य) 5. फाउंडेशन कोर्स - योग विज्ञान।
- II. हिंदी भाषा दक्षता में डिप्लोमा:
1. मौखिक अभिव्यक्ति 2. लिखित अभिव्यक्ति 3. भाषा संरचना और प्रयोग
4. पाठ्य (गद्य और पद्य) 5. हिंदी साहित्य का इतिहास: एक परिचय
6. आधार पाठ्यक्रम - योग विज्ञान
- III. हिंदी भाषा दक्षता उच्च डिप्लोमा:
1. मौखिक अभिव्यक्ति 2. लिखित अभिव्यक्ति 3. भाषा संरचना और प्रयोग
4. पाठ्य (गद्य और पद्य) 5. हिंदी भाषा और साहित्य का ऐतिहासिक विकास
6. आधार पाठ्यक्रम - योग विज्ञान
- IV. हिंदी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा:
1. सामान्य भाषाविज्ञान और हिंदी भाषा, 2. पाठ्य (गद्य और पद्य), 3. भारतीय संस्कृति,
4. वैकल्पिक:- (क) संचार कला, (ख) अनुवाद: सिद्धांत और व्यवहार, (ग) शिक्षण सामग्री
उत्पादन: सिद्धांत और व्यवहार; 5. वैकल्पिक:- (क) प्रेमचंद: एक विशेष अध्ययन,
(ख) मैथिली शरण गुप्त: एक विशेष अध्ययन 6. फाउंडेशन कोर्स - योग विज्ञान
इन पाठ्यक्रमों के अलावा, भाषा विज्ञान, भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा, साहित्य, प्राच्य विद्या
(इंडोलॉजी), संगीत (गायन, तबला और नृत्य), हिंदी टाइपिंग आदि क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले
शोध कार्य और कौशल संवर्धन के लिए अत्यधिक उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रवेश:

संस्थान निम्नलिखित श्रेणियों के विदेशी छात्रों को प्रवेश देता है:

- अ. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विदेश में हिंदी संवर्धन योजना (पीएचए योजना) के तहत चुने गए छात्र।

ब. विभिन्न देशों की सरकारों/एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा प्रतिनियुक्त/प्रायोजित छात्र।

स. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत चुने गए छात्र।

I. पात्रता:

- न्यूनतम योग्यता: बारह (12) वर्ष की स्कूली (10+2) या कॉलेज शिक्षा।
- उम्मीदवार के पास हिंदी या/और अंग्रेजी में न्यूनतम लिखित और मौखिक दक्षता होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास कंप्यूटर संचालन में बुनियादी कौशल होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास एक कार्यशील ई-मेल आईडी होनी चाहिए।

II. प्रवेश प्रक्रिया:

श्रेणी ए और बी के लिए, उम्मीदवार भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वे संस्थान की वेबसाइट www.hindisansthan.in से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन पत्र दो सिफारिशों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए: जिनमें से एक सिफारिश भारतीय दूतावास या उच्चायोग के प्रथम सचिव/द्वितीय सचिव या अताशे के दर्जे के अधिकारी की होनी चाहिए; और दूसरा उम्मीदवार के देश में किसी भी संस्थान/विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान/हिंदी के विशेषज्ञ या व्याख्याता/रीडर/प्रोफेसर/निदेशक का होना चाहिए।

प्रवेश के बाद अभ्यर्थियों में यदि किसी गंभीर बीमारी का संदेह होता है तो संस्थान की ओर से उसका पुनः चिकित्सीय परीक्षण करवाया जा सकता है जिसे अंतिम प्रमाण माना जाएगा। विद्यार्थी यदि पूर्व में किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और वह उससे संबंधित गलत तथ्य प्रस्तुत करता है तो इस स्थिति में विद्यार्थी को तत्काल अपने देश वापस भेजा जा सकता है।

भारतीय दूतावास/उच्चायोग छात्रों के आवेदन पत्र को उनके मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और हिंदी दक्षता प्रमाण पत्र के साथ रजिस्ट्रार, केंद्रीय हिंदी संस्थान (केंद्रीय हिंदी संस्थान), हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा - 282005, भारत को भेजेगा। रजिस्ट्रार कार्यालय का ई-मेल registrarofficekhs1960@gmail.com है।

III. आयु:

किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है।

IV. शैक्षणिक वर्ष

संस्थान का शैक्षणिक वर्ष 1 अगस्त से 30 अप्रैल तक चलता है।

V. आवास

केंद्रीय हिंदी संस्थान (केन्द्रीय हिंदी संस्थान), आगरा पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग मध्यम साइज़ छात्रावास की सुविधा प्रदान करता है।

नोट: (क) छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छात्रावास के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। छात्रावास के नियमों की जानकारी छात्रों को प्रवेश के समय दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है तथा उसे अपने खर्च पर वापस आने के लिए कहा जा सकता है।

(ख) संस्थान समय-समय पर सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन करता है, जो छात्र इन गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे अपने साथ अपनी पारंपरिक पोशाक ला सकते हैं।

VI. मेस/खाने की सुविधा:

छात्रावास में मेस/खाने की सुविधा है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए मेस में शामिल होना अनिवार्य है। छात्रावास के कमरों में निजी खाना बनाना सख्त वर्जित है। मेस पूरी तरह शाकाहारी है और आम तौर पर भारतीय भोजन परोसा जाता है। नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने का मासिक खर्च लगभग 3500/- से 4000/- के बीच है। मेस का मासिक खर्च छात्रों की छात्रवृत्ति से काटा जाएगा।

अन्य सुविधाएँ : छात्रावास में रहने वालों को 24X7 वाई-फाई सुविधा, ओपन जिम और योग कक्ष उपलब्ध हैं। इसके अलावा परिसर में भारतीय डाक और बैंकिंग सेवाएँ भी उपलब्ध हैं।

VII. वित्तीय सहायता :

विदेशों में हिंदी की प्रचार-प्रसार योजना (पीएचए योजना) के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले छात्रों को उनके संबंधित देशों से सबसे छोटे मार्ग से इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया (आना-जाना) दिया जाता है। चयनित छात्र को 9000/- (केवल नौ हजार रुपये) प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति छात्र को 1 अगस्त या उसके आगमन के महीने से लेकर शैक्षणिक सत्र के अंत यानी 30 अप्रैल तक दी जाती है। छात्र को हिंदी की पाठ्यपुस्तक खरीदने के लिए रसीद तैयार करने पर प्रति वर्ष 1000/- (केवल एक हजार रुपये) का पुस्तक अनुदान भी दिया जाता है।

(1) यदि संबंधित दूतावासों द्वारा समय पर सूचित किया जाता है कि संस्थान द्वारा छात्रों को दिल्ली हवाई अड्डे से केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा तक कार से लाया जाएगा।

(2) संस्थान छात्र द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा तक पहुंचने में रेल/सड़क मार्ग से यात्रा करने पर व्यय की गई राशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति करेगा।

VIII. शुल्क:

1. छात्रों को परीक्षा फार्म जमा करते समय 700/- रुपये (केवल सात सौ रुपये) का भुगतान करना होगा (200 रुपये नामांकन शुल्क और 500 रुपये परीक्षा शुल्क) बैंक ड्राफ्ट/नकद सचिव, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के नाम से या केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के लेखा कार्यालय में नकद देना होगा। 2. छात्रावास रखरखाव शुल्क जमा 300/- रुपये (केवल तीन सौ रुपये) प्रति माह। 3. पुस्तकालय सुरक्षा जमा 1000/- रुपये (केवल एक हजार रुपये) एक बार (वापसी योग्य)। 4. छात्र बीमा 255/- रुपये (दो सौ पचपन रुपये)। अन्य स्थितियों में छात्र की सहमति से, आवश्यक कटौती योग्य राशि (जैसे नामांकन और परीक्षा शुल्क आदि) भी दी गई छात्रवृत्ति से काटी जा सकती है।

(पुस्तकालय सुरक्षा जमा राशि शैक्षणिक सत्र के अंत में उधार ली गई पुस्तकों की वापसी पर वापस कर दी जाती है; इस संबंध में लाइब्रेरियन से 'अनापति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा।)

IX. चिकित्सा सुविधाएँ: संस्थान के नियमों के अनुसार अस्पताल की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। संस्थान में पुरुष और महिला डॉक्टर बिना किसी परामर्श शुल्क के विशेष रूप से छात्रों के लिए प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं।

X. अनुशासन: सभी छात्रों को संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

प्रवेश के समय छात्र को संस्थान के नियमों की एक प्रति दी जाएगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रवृत्ति समाप्त करने, प्रवेश रद्द करने/उपगत व्यय की वसूली आदि जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामले की सूचना संबंधित दूतावास/उच्चायोग को भी दी जा सकती है। छात्र को उसके देश वापस भेजने के लिए दूतावास/उच्चायोग को भी सौंपा जा सकता है। ऐसे मामले में, संस्थान उम्मीदवार/विद्यार्थी को कोई वापसी किराया नहीं देगा।

XI. छुट्टी: समय पर आयोजित होने वाले शैक्षणिक सत्रों के लिए कुल दस (10) दिन की छुट्टी दी जाएगी। इस छुट्टी अवधि के बाद, यदि कक्षा में उपस्थिति महीने में 50% से कम है, तो छात्रवृत्ति नियमों के अनुसार काट ली जाएगी।

XII. उपस्थिति: प्रत्येक पाठ्यक्रम दो सत्रों में होगा। छात्र को दोनों सत्रों के पूरा होने पर 80% उपस्थिति दिखानी होगी। यदि छात्र को उसकी कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उसे वापसी का किराया नहीं दिया जाएगा और संबंधित दूतावास/उच्चायोग को इसकी सूचना दी जाएगी; वे ऐसे छात्रों की वापसी टिकट का ध्यान रखेंगे। संस्थान ऐसे छात्रों से छात्रवृत्ति राशि वसूलने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर सकता है। इसके लिए, मासिक उपस्थिति पर सख्त निगरानी रखी जाएगी (प्रति कक्षा के आधार पर)।

XIII. परीक्षा और प्रमाण पत्र: प्रत्येक सत्र में 30 अंकों की आंतरिक परीक्षा और अप्रैल में 70 अंकों की अंतिम परीक्षा आयोजित की जाएगी। डिप्लोमा/पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग 40% अंक प्राप्त करने होंगे। दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों (100 अंक) के आधार पर छात्र की दक्षता के मूल्यांकन के बाद उसे मार्कशीट और प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। श्रीलंका में, 100 अंकों की अंतिम परीक्षा आयोजित की जाएगी। अंकों का क्रम नीचे दिया गया है:

ग्रेड	अंकों का प्रतिशत
O	90-100
A+	80-89.99
A	70-79.99
B+	60-69.99
B	50-59.99
C	40-49.99
D	40% से कम - अनुत्तीर्ण

40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा; इस स्थिति में उन्हें केवल अंकतालिका दी जाएगी तथा कोई प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा।

अन्य जानकारी :

1. छात्रावास में रहने वालों को 24X7 वाई-फाई सुविधा, ओपन जिम तथा योग कक्ष उपलब्ध है। इसके अलावा परिसर में भारतीय डाक तथा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं।
2. यदि छात्र प्रतिदिन 50% कक्षाओं में उपस्थित होता है तो उसे उपस्थित माना जाएगा।
3. प्रत्येक पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कुल पांच छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र के लिए संस्थान में अगले उच्चतर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रस्ताव पत्र जारी किया जाएगा।
4. वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अंतिम परीक्षा के लिए किसी पूरक परीक्षा का प्रावधान नहीं है।
5. सत्र के बीच में किसी विद्यार्थी को अन्य देश जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

अंडरटेकिंग

सभी छात्रों को लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्हें संस्थान के सभी नियमों तथा विनियमों की अच्छी जानकारी है तथा वे उनका पालन करेंगे।

भारतीय डाक, बैंकिंग सेवाएं परिसर में उपलब्ध हैं।